



(ई-मेल के माध्यम से)

फा.सं. NACIN/ TRNG/264/2022-I-S-TRNG

दिनांक: 03.10.2023

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय:- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारियों के लिए साइबर कानून और साइबर फॉरेंसिक विषय पर 20.11.2023 से 04.12.2023 तक एक ऑफलाइन पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद एनएलआईयू, भोपाल के सहयोग से 20.11.2023 से 04.12.2023 तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारियों के लिए साइबर कानून और साइबर फॉरेंसिक विषय पर एक ऑफलाइन पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह 12 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसमें शनिवार को भी कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

2. उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्मा में ही भेजे जायें।

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (In capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

3. नामांकन दिनांक 18 अक्टूबर 2023 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से, ई-मेल आईडी- istnacin-faridabad@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। कृपया नामांकन के लिए अंतिम तिथि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय संरचनाओं से पर्याप्त संख्या में नामांकन प्राप्त होने के बाद ही आयोजित किया जाएगा। इसलिए, प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे आईएसटी अनुभाग नासिन फरीदाबाद द्वारा नामांकन की पुष्टि के बाद ही अपना आवागमन निर्धारित करें।

5. उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबन्धित किसी भी जानकारी हेतु श्रीमती विक्रान्त राठी, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9999011815) एवं श्री अखिलेश मीना, अपर सहायक निदेशक (Mob. 8586863515) से संपर्क किया जा सकता है।

6. नामांकन पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनुज शर्मा)

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषण:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआईसी के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट